

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2016/ज्येष्ठ 5, 1938

No. 373]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2016/JYAISTHA 5, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

सं. 27/2016-सेवाकर

सा.का.नि. 550(अ).—केंद्र सरकार, वित्त अधिनियम 2016 (2016 का 28) की धारा 161 की उपधारा (5) के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा यह प्रावधान करती है कि भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 472 (अ) के अंतर्गत दिनांक 20 जून 2012 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 30/2012-सेवाकर, दिनांक 20 जून, 2012, कृषि कल्याण उपकर के प्रयोजनों के लिए यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

यह अधिसूचना 01 जून, 2016 से लागू होगी।

[फा. सं. बी-1/18/2016-टी.आर.यू.]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2016

No. 27/2016-Service Tax

G.S.R. 550(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) read with sub-section (5) of section 161 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby provides that notification No. 30/2012 - Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India,

Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 472 (E), dated the 20th June, 2012 shall be applicable mutatis mutandis for the purposes of Krishi Kalyan Cess.

This notification shall come into force from the 1st day of June, 2016.

[F. No. B-1/18/2016 - TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

सं. 28/2016-सेवाकर

सा.का.नि. 551(अ).—केंद्र सरकार, वित्त अधिनियम 2016 (2016 का 28) की धारा 161 की उपधारा (5) के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी कर योग्य सेवाओं को, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कृषि कल्याण उपकर से छूट देती है जिन्हें वित्त अधिनियम 1994 की धारा 93 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (2), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत जारी अधिसूचना अथवा विशेष आदेश द्वारा संपूर्ण सेवाकर से छूट प्राप्त है अथवा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 ख के अंतर्गत उन पर सेवाकर उद्ग्रहणीय नहीं है:

बशर्ते यह कि कृषि कल्याण उपकर, कर योग्य मूल्य के केवल उस प्रतिशत पर उद्ग्रहणीय होगा जो कि दिनांक 20 जून, 2012 की सा.का.नि. संख्या 468 (अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशित दिनांक 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं. 26/2012-सेवाकर की सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं के संबंध में कॉलम (3) के लिए विनिर्दिष्ट है।

स्पष्टीकरण :- एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषि कल्याण उपकर के प्रयोजन से कर योग्य सेवाओं का मूल्य, वह होगा जो कि सेवाकर (मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2006 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

यह अधिसूचना 01 जून, 2016 से लागू होगी।

[फा. सं. बी-1/18/2016-टी.आर.यू.]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2016

No. 28/2016-Service Tax

G.S.R. 551(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) read with sub-section (5) of section 161 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts such taxable services from whole of Krishi Kalyan Cess leviable thereon which are either exempt from the whole of service tax by a notification or special order issued under sub-section (1) or as the case may be under sub-section (2) of section 93 of the Finance Act, 1994 or otherwise not leviable to service tax under section 66B of the Finance Act, 1994:

Provided that Krishi Kalyan Cess shall be leviable only on that percentage of taxable value which is specified in column (3) for the specified taxable services in column (2) of the Table in the notification No. 26/2012-Service Tax, dated 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 468 (E), dated the 20th June, 2012.

Explanation.— It is hereby clarified that value of taxable services for the purposes of the Krishi Kalyan Cess shall be the value as determined in accordance with the Service Tax (Determination of Value) Rules, 2006.

This notification shall come into force from the 1st day of June, 2016.

[F. No. B-1/18/2016 - TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

सं. 29 /2016-सेवाकर

सा.का.नि. 552(अ).—केंद्र सरकार, सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 6 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, दिनांक 20 जून, 2012 की सा.का.नि. सं. 481 (अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं. 39/2012-सेवाकर में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण 1 में, खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(ङ) वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 161 की उपधारा (2) के अंतर्गत यथा उद्ग्रहित कृषि कल्याण उपकर।

यह अधिसूचना 01 जून, 2016 से लागू होगी।

[फा. सं. बी-1/18/2016-टी.आर.यू.]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना, दिनांक 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं. 39/2012-सेवाकर के अंतर्गत दिनांक 20 जून, 2012 की सा.का.नि. सं. 481(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा इसमें सा.का.नि. सं. 141(अ) दिनांक 03 फरवरी, 2016 के अंतर्गत दिनांक 03 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 03/2016-सेवाकर के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2016

No. 29/2016-Service Tax

G.S.R. 552(E).—In exercise of the powers conferred by rule 6A of the Service Tax Rules, 1994, the Central Government, hereby makes following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2012- Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 481(E), dated the 20th June, 2012, namely:-

In the said notification, in *Explanation* 1, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) Krishi Kalyan Cess as levied under sub-section (2) of section 161 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016).”.

This notification shall come into force from the 1st day of June, 2016.

[F. No. B-1/18/2016 - TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) by notification No. 39/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012 *vide* number G.S.R. 481(E), dated the 20th June, 2012 and last amended *vide* notification No. 03/2016-Service Tax, dated the 3rd February, 2016 *vide* number G.S.R. 141(E), dated the 3rd February, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

सं. 30/2016-सेवाकर

सा.का.नि. 553(अ).—केंद्र सरकार, वित्त अधिनियम 2016 (2016 का 28) की धारा 161 की उपधारा (5) के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 448 (अ) के अंतर्गत दिनांक 01 जुलाई 2013 को प्रकाशित भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2013-सेवाकर, दिनांक 01 जुलाई, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 में, उप पैरा (III) में, -

(क) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ (ख) एसईजेड एकक अथवा डेवलपर,-

(i) विनिर्दिष्ट सेवाएं, जिन पर आरंभिक छूट अनुज्ञेय है अपितु इसका दावा नहीं किया गया है, पर अदा किए गए सेवाकर और

(ii) खंड (क) की शर्तों के अनुसार इसे वितरित धनराशि के रिफंड का हकदार होगा”

(ख) खंड (ख क) में,

(i) मद (i) में “ स्वच्छ भारत उपकर ” शब्दों के पश्चात “ और कृषि कल्याण उपकर ” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) मद (ii) में “ स्वच्छ भारत उपकर की प्रभावी दर द्वारा ” शब्दों के स्थान पर “ स्वच्छ भारत उपकर और कृषि कल्याण उपकर की प्रभावी दरों के योग्य द्वारा ” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

यह अधिसूचना 01 जून, 2016 से लागू होगी।

[फा. सं. बी-1/18/2016-टी.आर.यू.]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना, दिनांक 01 जुलाई, 2013 की अधिसूचना सं. 12/2013-सेवाकर के अंतर्गत दिनांक 01 जुलाई, 2013 की सा.का.नि. सं. 448(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा इसमें सा.का.नि. सं. 140(अ) दिनांक 03 फरवरी, 2016 के अंतर्गत दिनांक 03 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 02/2016-सेवाकर के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2016

No. 30/2016-Service Tax

G.S.R. 553(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), read with sub-section (5) of section 161 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2013-Service Tax, dated the 1st July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 448(E), dated the 1st July, 2013, namely:—

In the said notification, in paragraph 3, in sub-paragraph (III),—

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) the SEZ Unit or the Developer shall be entitled to refund of-

- (i) the service tax paid on the specified services on which ab-initio exemption is admissible but not claimed, and
- (ii) the amount distributed to it in terms of clause (a).”;
- (ii) in clause (ba),
 - (a) in item (i), after the words “Swachh Bharat Cess”, the words “and Krishi Kalyan Cess” shall be inserted;
 - (b) in item (ii) for the words “by effective rate of Swachh Bharat Cess”, the words “by sum of effective rates of Swachh Bharat Cess and Krishi Kalyan Cess” shall be substituted.

This notification shall come into force from the 1st day of June, 2016.

[F.No. B-1/18/2016 - TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) by notification No. 12/2013-Service Tax, dated the 1st July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 448(E), dated the 1st July, 2013 and last amended *vide* notification No. 02/2016-Service Tax, dated the 3rd February, 2016 *vide* number G.S.R. 140(E), dated the 3rd February, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

सं. 31/2016-सेवाकर

सा.का.नि. 554(अ).—केंद्र सरकार, वित्त अधिनियम 1944 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सेवाकर नियमावली, 1994 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम सेवाकर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016 है।
- (2) ये नियम 01 जून, 2016 से लागू होंगे।
2. सेवाकर नियमावली, 1994 में, नियम 6 में,
 - (i) उपनियम (7 घ) में “ 0.5 ” अंक के स्थान पर “ स्वच्छ भारत उपकर की प्रभावी दर ” और “14 (चौदह) ” शब्द, अंक और कोष्ठक के स्थान पर “ वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 ख में विनिर्दिष्ट सेवाकर की दर ” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
 - (ii) उपनियम (7 घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ (7इ) नियम 6 के उपनियम (7), (7 क), (7 ख) अथवा (7 ग) के अंतर्गत सेवाकर अदा करने के दायी व्यक्ति को यह विकल्प होगा कि वह वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 161 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कृषि कल्याण उपकर का भुगतान किए जाने की बजाए कृषि कल्याण उपकर की उसकी कुल देयता के निर्वहन के संबंध में कृषि कल्याण उपकर की प्रभावी दर के द्वारा नियम 6 के उपनियम (7), (7 क), (7 ख) अथवा (7 ग) के अंतर्गत आकलित सेवाकर की कुल देयता को गुणा करके और वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 ख में विनिर्दिष्ट सेवाकर की दर के गुणज से इसे विभाजित करके किसी कलेंडर माह अथवा तिमाही जैसा भी मामला हो, के संबंध में निर्धारित ऐसी धनराशि का भुगतान कर सकता है।

[फा. सं. बी-1/18/2016-टी.आर.यू.]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम दिनांक 28 जून, 1994 की अधिसूचना सं. 02/94-सेवाकर के अंतर्गत दिनांक 28 जून, 1994 की सा.का.नि. सं. 546 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा इनमें सा.का.नि. सं. 283 (अ) के तहत दिनांक 08 मार्च, 2016 को अधिसूचना सं. 20/2016-सेवाकर, दिनांक 08 मार्च, 2016 के द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2016

No. 31/2016-Service Tax

G.S.R. 554(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely:-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Third Amendment) Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the 1st day of June, 2016.

2. In the Service Tax Rules, 1994, in rule 6,

(i) in sub-rule (7D), for the figures “0.5” the words “effective rate of Swachh Bharat Cess” and for the words, figures and brackets “14 (fourteen)”, the words and figures “rate of service tax specified in section 66B of the Finance Act, 1994” shall be substituted;”;

(ii) after sub-rule (7D), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(7E) The person liable for paying the service tax under sub-rule (7), (7A), (7B) or (7C) of rule 6, shall have the option to pay such amount as determined by multiplying total service tax liability calculated under sub-rule (7), (7A), (7B) or (7C) of rule 6 by effective rate of Krishi Kalyan Cess and dividing the product by rate of service tax specified in section 66B of the Finance Act, 1994, during any calendar month or quarter, as the case may be, towards the discharge of his liability for Krishi Kalyan Cess instead of paying Krishi Kalyan Cess at the rate specified in sub-section (2) of section 161 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016) and the option under this sub-rule once exercised, shall apply uniformly in respect of such services and shall not be changed during a financial year under any circumstances.

[F.No. B-1/18/2016 - TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) by notification No. 2/94-Service Tax, dated the 28th June, 1994 *vide* number G.S.R. 546(E), dated the 28th June, 1994 and last amended *vide* notification No. 20/2016-Service Tax, dated the 8th March, 2016 *vide* number G.S.R. 283(E), dated the 8th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

सं. 28/2016-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 555(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1994 का 1) और वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम सेनवेट क्रेडिट (सातवां संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह 01 जून, 2016 से लागू होंगे।

2. सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में, नियम 3 में,

(क) उपनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1 क) निर्गत सेवा के प्रदाता को, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 161 के अंतर्गत, कर योग्य सेवाओं पर उद्ग्रहणीय, कृषि कल्याण उपकर के सेनवेट क्रेडिट के लेने की अनुमति होगी।”;

(ख) उपनियम (4) में नौवें परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“बशर्ते यह भी कि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी ड्यूटी के सेनवेट क्रेडिट का, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 161 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय कृषि कल्याण उपकर के भुगतान के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा” ;

(ग) उपनियम (7) में,-

(i) “उपनियम (1)” शब्द, अंक और कोष्ठक के पश्चात “उपनियम (1 क)” शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 161 के अंतर्गत कर योग्य सेवाओं पर उद्ग्रहणीय कृषि कल्याण उपकर के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का उपयोग, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 161 के अंतर्गत कर योग्य सेवाओं पर उद्ग्रहणीय केवल कृषि कल्याण उपकर के भुगतान के लिए किया जाएगा” ;

[फा. सं. बी-1/18/2016-टी.आर.यू.]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम दिनांक 10 सितंबर, 2004 की अधिसूचना सं. 23/2004-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) के अंतर्गत दिनांक 10 सितंबर, 2004 की सा.का.नि. सं. 600 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा इनमें सा.का.नि. सं. 512 (अ) के तहत दिनांक 14 मई, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशित दिनांक 14 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 27/2016-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) के अंतर्गत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2016

No. 28/2016 - Central Excise (N.T.)

G.S.R. 555(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely : —

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Seventh Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on 1st of June, 2016.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, in rule 3,

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(1a) A provider of output service shall be allowed to take CENVAT credit of the Krishi Kalyan Cess on taxable services leviable under section 161 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016);”;

(b) in sub-rule (4), after the ninth proviso, the following proviso shall be inserted, namely,—

“Provided also that the Cenvat credit of any duty specified in sub-rule (1) shall not be utilised for payment of Krishi Kalyan Cess leviable under section 161 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016);”;

(c) in sub-rule (7),

- (i) after the words, figures and brackets “sub-rule (1)”, the words, figures and brackets “, sub-rule (1a)” shall be inserted;
- (ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely,—

“(d) Cenvat credit in respect of Krishi Kalyan Cess on taxable services leviable under section 161 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016) shall be utilised only towards payment of Krishi Kalyan Cess on taxable services leviable under section 161 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016)”;

[F. No. B-1/18/2016 - TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 23/2004-Central Excise (N.T.), dated the 10th September, 2004 *vide* number G.S.R. 600(E), dated the 10th September, 2004 and last amended *vide* notification No. 27/2016 - Central Excise (N.T.), dated the 14th May, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 512(E), dated the 14th May, 2016.